

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2023—कार्तिक 30, शक 1945

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2023

क्र. आर-1116063-2023-दो-सी-एक्स.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 4 मई 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (सी) एवं (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र. (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1.	एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम डोंगरगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.	एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम डोंगरगांव जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र.	पूर्व —ग्राम कुडारी व डोंगरगांव की भूमि. पश्चिम—ग्राम गांगई व उमरिया की भूमि. उत्तर—ग्राम चोरबरहठा, मेहराखेड़ा एवं उमरिया की भूमि. दक्षिण—डोंगरगांव व ग्राम-गांगई की भूमि.

No. 1116063-2023-II-C-X.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 (c) (d) of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act :—

SCHEDULE

S.No.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NTPC Gadarwada Super Tharmal Powar Project Dongargav, Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh.	NTPC Gadarwada Super Tharmal Powar Project Dongargawn, Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh All Area.	East —Kudari Village and Dogargawn, Land. West —Gangai Village and Umariya, Land. North —Chorbarhatha, Moharkheda and Umariya, Land. South —Dogargawn and Gram Gangai Village Land.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.